राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/22/1886   दिनांक 05/07/22

अधिसूचना

विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप–धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण **ग्राम पंचायत सेमारी, कुराडिया, श्यामपुरा एवं समीपस्त ग्रांम पंचायत कुण्डा के राजस्व ग्रांम ढाणी को सम्मिलित करते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :–**

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	उदयपुर	सेमारी	**ग्राम पंचायत सेमारी के राजस्व ग्रांम सेमारी, लालपुरिया, ब्रहमपुरी, दर्जनपुरा, ग्रांम पंचायत कुराडिया के ग्रांम कुराडिया, जगतपुरिया, जालमपुरा, नारायणपुर, अम्बारा, ग्रांम पंचायत श्यामपुरा के राजस्व ग्रांम श्यामपुरा, जोधपुरिया, भीमपुर, बागथला, जुनपुरिया, उपलागुडा, निचलागुडा, एवं ग्रांम पचायत कुण्डा के राजस्व ग्रांम ढाणी के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनसख्या – 13,327) जनगणना 2011 के अनुसार**

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2022–23 के अन्तर्गत घोषणा के क्रम में जिला कलेक्टर उदयपुर के प्रस्तावानुसार ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत सेमारी, कुराडिया, श्यामपुरा एवं समीपस्त ग्रांम पंचायत कुण्डा के राजस्व ग्रांम ढाणी (जिला उदयपुर) की विधमान सीमांए ही नवगठित नगर पालिका सेमारी की स्थानीय सीमाएं रहेगी । यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(ह्रदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/22/ 1887 – 1925   दिनांकः 05/07/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित आयोग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, सचिव/ आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में सम्मिलित किये गये ग्राम पंचायत क्षेत्र को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव, को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर/निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
09. **संभागीय आयुक्त उदयपुर/जिला कलक्टर उदयपुर राजस्थान ।**
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।/पी.आर.ओ. निदेशालय ।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 20 प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
12. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय राज. जयपुर।
13. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
14. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु। Programmer/IT Cell
15. सरपंच/उपसरपंच/सचिव,संबंधित ग्राम पंचायत........................ उपरोक्तानुसार .जिला उदयपुर (राज.)।
16. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

d:\shrimal jl\ semari municipality